झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–826 वर्ष 2017

1. बलिराम मिंज, पे0 स्वर्गीय मिलु मिंज, निवासी ग्राम–कुडकेल, डाकघर–टोंगो, थाना–चैनपुर, जिला–गुमला, झारखण्ड।
2. मुन्ना इसिदोर तिर्की, पे0 स्वर्गीय जोसेफ तिर्की, निवासी ग्राम–छोटा कटरा, डाकघर–नोआडीह, थाना–डुमरी, जिला–गुमला, झारखण्ड।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखंड राज्य सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची के माध्यम से।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची।
3. जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला, एट–गुमला डाकघर–गुमला, थाना–गुमला, जिला–गुमला (झारखंड)

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ताओं के लिए :– श्री कृपा शंकर नंदा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– एस0सी0–V का जे0सी0

03 / 28.02.2017 तत्काल रिट आवेदन में याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ–साथ वैधानिक ब्याज के साथ देय राशि पर अपरिहार्य अवकाश के लिए छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए उत्तरदाताओं को रिट / निर्देश के लिए प्रार्थना की है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को इसका भुगतान नहीं किया गया है।

2. तथ्य, जैसा कि रिट एप्लिकेशन में खुलासा किया गया है, यह है कि याचिकाकर्ताओं को क्रमशः आर0सी0 प्राइमरी स्कूल, बागमारिया, जिला–गुमला में शिक्षक के रूप में वर्ष 1984 और 1975 में नियुक्त किया गया था और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर क्रमशः दिनांक 31.12.2014 और 31.05.2006 को सेवानिवृत्त हुए थे। विचाराधीन स्कूल जहां से याचिकाकर्तागण सेवानिवृत्त हुए हैं, वह एक सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक स्कूल है और विचाराधीन स्कूल के कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान की सभी खर्च सरकारी खजाने से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।

3. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत बहुत संकीर्ण दायरे में है और डब्ल्यू0पी0 (एस) सं0 506, 509 और 512 वर्ष 2013 में पारित इस न्यायालय के निर्णय से पूरी तरह से आच्छादित है। जहाँ तक छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए मुद्दा है, याचिकाकर्तागण सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक स्कूल का सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और यह मुद्दा अब अनिर्णीत विषय का नहीं रहा, इस न्यायालय द्वारा मरियम तिर्की बनाम झारखंड राज्य और अन्य जो (2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465) में रिपोर्ट किया गया है, में पारित निर्णय के मद्देनजर और अब माननीय उच्चतम न्यायाालय द्वारा दिनांक 15.12.2014 को विशेष अवकाश अपील (सी) संख्या (एस) 20606–20607/2014 में पारित निर्णय के द्वारा पुष्टि किया गया। तद्नुसार, याचिकाकताअंओं को अवकाश नकदीकरण राशि के भुगतान के

लिए पारित निर्णय के मद्देनजर रिट याचिका का निपटान किया जा सकता है। याचिकाकर्तागण ने प्रतिवादी सं0 3 को अनुलग्नक–2 के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, लेकिन उक्त आवेदन ने आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

5. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता यह विवाद नहीं करते हैं कि गैर–सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को स्वीकार्य अवकाश नकदीकरण से संबंधित उपरोक्त मुद्दा अब मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, द्वारा तय किया गया है।

6. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी संख्या–3 को निर्देश देकर किया जाता है कि वह याचिकाकर्तागण के संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि देने के मामले में निर्णय याचिकाकर्ताओं की ओर से अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर मरियम टिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय के मद्देनजर लें।

7. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)